भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

लिखित प्रश्न सं. 5263

गुरुवार, 25 जुलाई, 2019/3 श्रावण, 1941 (शक)

सड़क राजमार्गों का राष्ट्रीय राजमार्गों में रूपांतरण

5263. श्री लावू श्रीकृष्णा देवरायालूः

श्री वी.के. श्रीकंदनः

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केंद्र सरकार ने 39,040 किलोमीटर की राज्य सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने का निर्णय लिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या कई राज्य सरकारों ने उपर्युक्त सड़कों के अतिरिक्त और अधिक राज्य सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने का अनुरोध किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत पांच वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कितनी लंबी राज्य राजमार्गों (एसएच) को राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच) में रूपांतरित किया गया है;

(घ) एसएच को एनएच में रूपांतरित करने के लिए किन मानदंडों का पालन किया जा रहा है;

(ङ) एसएच को एनएच में रूपांतरित करने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार का केंद्र सरकार के पास लंबित प्रस्तावों का ब्यौरा और वर्तमान स्थिति क्या है; और

(च) क्या इस वर्ष के बजट में एसएच को विकसित करने हेतु राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और वर्तमान स्थिति क्या है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) से (ड.): मंत्रालय में राज्यीय राजमार्गों सहित राज्यीय सड़कों की नए राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में घोषणा किए जाने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार सहित विभिन्न राज्य सरकारों / संघ राज्य क्षेत्रों आदि से प्रस्ताव प्राप्त होते रहते हैं। मंत्रालय समय-समय पर सम्पर्कता की आवश्यकता, अंतर-प्राथमिकता और निधियों की उपलब्धता के आधार पर कुछ राज्यीय सड़कों को नए राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में घोषित करने पर विचार करता है।

राज्यीय सड़कों की नए राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में घोषणा के लिए मौजूदा मानदंडों में निम्नलिखित शामिल हैं- संपूर्ण देश से होकर गुजरने वाली सड़कें, आस-पास के देशों को जोड़ने वाली सड़कें, राज्य की राजधानियों को राष्ट्रीय राजधानियों/राज्य की राजधानियों पारस्परिक रूप से जोड़नें वाली सड़कें, प्रमुख पत्तन, गैर-प्रमुख पत्तन, बड़े औद्योगिक केंद्र या पर्यटन केंद्र, पहाड़ी और अलग-थलग पड़े क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण सामरिक आवश्यकता को पूरा करने वाली सड़कें, सीधी सड़कें जो यात्रा की दूरी को कम करने में सक्षम होती हैं और जिनके द्वारा पर्याप्त आर्थिक विकास होता है, सड़कें जो पिछड़े क्षेत्रों

और पहाड़ी क्षेत्रों (सामरिक रूप से महत्वपूर्ण सड़कों से भिन्न) के बड़े मार्गों को खोलने में मदद करती हैं, 100 किलोमीटर का राष्ट्रीय राजमार्ग ग्रिड प्राप्त करना, आदि।

आंध्र प्रदेश राज्य में अप्रैल, 2014 के बाद से राज्यीय राजमार्गों सहित लगभग 2,677 किलोमीटर लंबाई की राज्यीय सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया गया था।

अप्रैल, 2014 के बाद से राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में घोषित राज्यीय राजमार्गों सहित राज्यीय सड़कों का राज्य / संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा **अनुलग्नक** में दिया गया है।

(च): मंत्रालय मुख्यत: राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी है। मंत्रालय समय-समय पर वित्त अधिनियम द्वारा संशोधित केंद्रीय सड़क निधि (सीआरएफ) अधिनियम, 2000 के प्रावधानों के अनुसार केंद्रीय सड़क निधि स्कीम तथा आर्थिक महत्व एंव अंतरराज्यीय संपर्कता स्कीम (ईआई ऐंड आईएससी) के अंतर्गत राज्यीय राजमार्गों सहित राज्यीय सड़कों के विकास के लिए भी निधियां आवंटित करता है। सीआरएफ को केंद्रीय सड़क कोष अधिनियम, 2000 में वित्त अधिनियम, 2018 द्वारा संशोधन करके केंद्रीय सड़क और अवसंरचना कोष अधिनियम (सीआरआईएफ) द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है।

वर्ष 2019-20 के दौरान केंद्रीय सड़क निधि तथा आर्थिक महत्व एंव अंतरराज्यीय संपर्कता (ईआई ऐंड आईएससी) आबंटनों के तहत क्रमश: 2,582.29 करोड़ रु. और 200 करोड़ रु. का लेखानुदान (वीओए) आवंटन अभिनिर्धारित किया गया है।

वर्ष 2019-20 के दौरान सीआरएफ और ईआई और आईएससी स्कीमों के अंतर्गत बजट प्राक्कलन 2019-20 के तहत कुल आवंटन क्रमशः 7,421.58 करोड़ रु. और 500 करोड़ रु. का प्रस्ताव किया गया है।

अनुलग्नक

'सड़क राजमार्गों का राष्ट्रीय राजमार्गों में रूपांतरण' के संबंध में श्री लावू श्रीकृष्णा देवरायालू और श्री वी.के. श्रीकंदन द्वारा दिनांक 25.07.2019 को पूछे गए लोक सभा लिखित प्रश्न संख्या 5263 के भाग (क) से (ड.) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

वर्ष 2014-15 के बाद से देश में नव घोषित राष्ट्रीय राजमार्गों का राज्य / संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा:-

लंबाई किमी में

क्र. सं.	राज्य / संघ राज्य क्षेत्र	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
1	आंध्र प्रदेश	80	676	1003	417	501
2	अरुणाचल प्रदेश	733	0	0	0	0
3	असम	76	9	24	0	0
4	बिहार	152	160	0	18	481
5	छत्तीसगढ़	0	0	154	291	15
6	दिल्ली	0	0	-11	10	87
7	गोवा	0	0	0	31	0
8	गुजरात	978	0	46	729	585
9	हरियाणा	185	395	0	165	378
10	हिमाचल प्रदेश	70	176	0	0	0
11	जम्मू और कश्मीर	274	8	0	0	57
12	झारखंड	11	0	0	0	674
13	कर्नाटक	138	70	259	889	132
14	केरल	0	0	0	21	0
15	मध्य प्रदेश	0	9	2660	271	553
16	महाराष्ट्र	734	415	7928	2,345	0
17	मणिपुर	257	0	0	0	0
18	मेघालय	0	0	0	0	0
19	मिजोरम	245	0	0	0	0
20	नगालैंड	194	0	23	0	0
21	ओडिशा	0	193	0	576	330
22	पंजाब	233	530	0	628	5
23	राजस्थान	80	20	0	1,041	1,426
24	सिक्किम	170	154	0	0	0
25	तमिलनाडु	0	0	0	1,843	0
26	त्रिपुरा	0	228	1	0	0
27	तेलंगाना	0	119	760	488	0
28	उत्तराखंड	432	0	0	0	0
29	उत्तर प्रदेश	620	0	228	2,762	360
30	पश्चिम बंगाल	0	46	0	8	590
	कुल	**5662**	**3208**	**13,075**	**12,532**	**6174**

*****